



प्रेस नोट

दिनांक 27.08.2019 थाना खेरागढ़ जनपद आगरा।



थाना खेरागढ़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध असलाह के साथ किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु व अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/चोर/लुटेरों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना प्रभारी खेरागढ़ को टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.2019 को भिलावली मोड़ पर चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान एक बाइक, जिसपर तीन व्यक्ति सवार थे अचानक बुरहरा की तरफ से आती हुई दिखाई दी। बाइक सवार व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर बाइक को पीछे की तरफ मोड़कर भागने लगे तो बाइक फिसल गयी, जिससे बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति गिर गया तथा अन्य दो बाइक पर सवार व्यक्ति भागने लगे तथा गिरा हुआ व्यक्ति बुरहरा के जंगल में भाग गया। उक्त बदमाशों का पीछा करने पर उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे तो पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस व धैर्य का परिचय देते हुए आत्मसुरक्षार्त फायर किया गया। अंधेरे व झाड़ियों का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाश फरार होने में सफल रहे तथा भागे हुए बदमाश को बुरहारा के जंगल से एक बारगी दबिश देकर घेर घोट कर आवश्यक बल का प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त 1-राजन पुत्र देवमुनि पासी नि० रायपुर पलिया थाना चिड़ियापुर जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस व 01 खाली कारतूस बरामद हुए। पूछताछ करने पर बताया कि फरार अभियुक्तगण 2-करूआ उर्फ कालू त्यागी नि० मनिया धौलपुर राजस्थान तथा तीसरे अभियुक्त के बारे में बताया कि उसे करूआ लेकर आया था जिसका नाम पता मालूम नहीं है, हम लोग लूट करने के उद्देश्य से आये थे।

गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना खेरागढ़ जनपद आगरा पर मु०अ०सं० 210/19 धारा 307 भादवि व 12 उ०प्र० डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम, 1983 व मु०अ०सं० 211/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

● गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. राजन पुत्र देवमुनि पासी निवासी रायपुर पलिया थाना चिरैयापुर जनपद मऊ।

● फरार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. करूआ उर्फ कालू त्यागी निवासी कस्वा व थाना मनिया धौलपुर राजस्थान।
02. नामालूम।

● गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना / जनपद
01.	384 / 2015	धारा 386 / 120बी भा.द.वि.	जहाँनाबाद / आजमगढ़
02.	256 / 2013	धारा 307 / 384 भा.द.वि.	जहाँनाबाद / आजमगढ़
03.	67 / 2013	धारा 380 भा.द.वि.	चिरैयापुरकोट / मऊ
04.	1117 / 2014	धारा 386 भा.द.वि.	चिरैयापुरकोट / मऊ
05.	157 / 2019	धारा 302 / 504 / 506 भा.द.वि. व 7 सीएलए	फूलपुर / आजमगढ़
06.	52 / 2015	धारा 2 / 3 गैंगस्टर एक्ट	जहाँनाबाद / आजमगढ़
07.	24 / 2014	धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट	तिर्वा / आजमगढ़
08.	210 / 2019	धारा 307 भा.द.वि. व धारा 12डी एक्ट	खेरागढ़ / आगरा
09.	211 / 2019	धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट	खेरागढ़ / आगरा

● बरामदगी का विवरण :-

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस व 01 खाली कारतूस।

● गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह थाना खेरागढ़ जनपद आगरा।

02. है०का० अरविन्द कुमार थाना खेरागढ़ जनपद आगरा।

03. कां० अवलेश कुमार, कां० मनोज कुमार थाना खेरागढ़ जनपद आगरा।



मीडिया सेल आगरा

पुलिस।